

सनाक 19/09/22 को पस हो ।

20

19.09.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी सुबे सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को आगे नही चलाना चाहते। प्रार्थी सुबे सिंह उर्फ कुलवन्त सि हके फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री धीर सिंह बराड द्वारा की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलक्टर  
एवं उपसहायक अधिकारी  
इनुमानाक

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official

